480 कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 22/12/08

प्रति,

1. अतिरिक्त संचालक समस्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य समस्त,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः–दिसम्बर माह में आकस्मिक अवकाश के आवेदन पत्र।

–:0:–

इस कार्यालय में बड़ी मात्रा में दिसम्बर माह में आकस्मिक अवकाश के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में 02 बिन्दु विचारार्थ हैं–

1– वर्तमान में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। अतः परीक्षा के समय प्राचार्य को अवकाश देना संभव नहीं है।

2– दिसम्बर माह में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार केवल मसीह समुदाय के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य अधिकारियों को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश प्रदाय नहीं किया जा सकता।

अतः इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए जिन प्राचार्यों/प्राध्यापकों के द्वारा 02 दिवस से अधिक के आकस्मिक अवकाश के आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं वे समस्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाते हैं, इसकी पृथक से सूचना प्राचार्य अथवा प्राध्यापक को नहीं दी जायेगी।

साथ ही दिसम्बर माह में 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक आवेदन भेजने वाले अधिकारियों के कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शासन के नियम/निर्देशों का ज्ञान नहीं है। अतः अनुरोध है कि कृपया भविष्य में आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व शासन के नियम निर्देशों को पूर्णतः पढ़कर उन्हीं के अनुसार आवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

चिकित्सा के आधार पर यदि 02 दिवस से अधिक का आवकाश लेना आवश्यक हो तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन पत्र भेजें जिससे आकस्मिक अवकाश के स्थान पर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सके।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

481

पृ. क्रमांक /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 22/12/08

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश